



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ० राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 348/16

निर्णय : 09.01.2018

बाबूलाल पुत्र भीखाराम जाति सोनी निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला
बीकानेर

—अपीलांत

—बनाम—

1. ईमीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी राववाला तहसील कोलायत
2. स्टेट ऑफ राजस्थान

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपीलें विरुद्ध निर्णय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़, बीकानेर
दिनांक 19.02.2010

उपस्थित:—

1. श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट नं. 1
3. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांत ने उक्त अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ बीकानेर के निर्णय दिनांक 19.02.2010 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा रेस्पोंडेन्ट नं. 1 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांत ने विशेष आवंटन में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/41 की 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अपीलांत भूमिहीन व्यक्ति है तथा जिस ग्राम की भूमि थी उसी ग्राम का निवासी है। मगर आवंटन अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से एकतरफा तौर पर अपीलांत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और अन्य व्यक्ति को

आवंटन कर दिया जो कानूनी भूल है। रेस्पोजेन्ट नं. 1 अन्य ग्राम का निवासी है तथा उसकी प्रथम वरियता मानी गई है जबकि उसकी प्रथम वरियता नहीं बनती। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उसके धारण में 4 बीघा से अधिक भूमि है जबकि रेस्पोजेन्ट नं. 1 के पास भी 4 बीघा से अधिक भूमि है। नियमों में कही भी नहीं लिखा कि 4 बीघा से अधिक भूमि वाला आवंटन का पात्र नहीं है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोजेन्ट के धारण में पूर्व में ही स्वयं के नाम से 25 बीघा भूमि मुहरबन्द निलामी में आवंटनशुदा भूमि निहित है व रेस्पोजेन्ट की माता व दादा के धारण में निहित भूमि में भी रेस्पोजेन्ट का नोशनल शेयर निहित है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट के धारण में भी पूर्व में ही अधिक भूमि निहित होना परिलक्षित है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का परिवार पीढ़ियों से ग्राम कबरेवाला पंचायत बरसलपुर में निवास करता आ रहा है तथा उसके द्वारा आवेदित भूमि भी उसी ग्राम में है। इसलिए प्रथम वरियता उसकी बनती है। जबकि रेस्पोजेन्ट नं. 1 अन्य ग्राम का निवासी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट नं. 1 को आवंटन कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन नियम 1975 के नियम 7 की गलत व्याख्या की है। नियम 7 में वरियता निर्धारण हेतु स्पष्ट क्रम दिये हुए है। रेस्पोजेन्ट नं. 1 के धारण में अपीलांट से अधिक भूमि है। फिर भी उसे आवंटन किया गया है। अतः अपीलांट की अपल स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर आवंटन के आदेश पारित किये जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर चक 6 बीएमआर के मुर्ब्बा नम्बर 108/41 ग्राम कब्रेवाला के आवंटन से पूर्व विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। अदालत मातहत द्वारा प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्रों की वरियता कायम की गई। वरियता क्रम में सभी आवेदकों के प्रार्थना पत्रों की जाँच किये जाने के उपरान्त सबूत पूर्ण होने पर रेस्पोजेन्ट इमीलाल व राजाराम की प्रथम वरियता मानते हुए

आराजी जैर का आवंटन भूमि 4 बीघा से कम होने के आधार पर किया गया है। रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के आवंटन उपरान्त निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बाबुलाल पुत्र भीखाराम के धारण में 15 बीघा कमाण्ड भूमि है तथा रेस्पोंडेन्ट राजाराम के धारण में 3.14 बीघा कमाण्ड बीघा भूमि निहित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्राप्त आवेदकों में से प्रथम वरियता के आधार पर आराजी जैर का विशेष आवंटन किया गया है। जो आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13—क के अन्तर्गत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत आराजी चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/41 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के फलस्वरूप चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/41 का आवंटन रेस्पोंडेन्ट ईमीलाल पुत्र ओमप्रकाश को दिनांक 19-02-2010 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13—क के अन्तर्गत विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाने पर वादगत भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/41 के आवंटन हेतु क्रमशः ईमीलाल पुत्र ओमप्रकाश, बाबूलाल पुत्र भीखाराम, पूराराम पुत्र बीरूराम, सोनाराम पुत्र मुखराम व श्रीमति जसवीर कौर पत्नी महेन्द्र सिंह आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये।

(3) अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त रकबें के आवंटन से पूर्व समस्त प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न सबूतों की जाँच के उपरान्त वरियता निर्धारित की गई तथा अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से वरियता के आधार पर जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट ईमीलाल पुत्र ओमप्रकाश की प्रथम वरियता व समस्त सबूत पूर्ण होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट ईमीलाल को किया गया है।

(4) अदालत मातहत द्वारा वरियता क्रम निर्धारित करते हुए सभी आवेदकों के धारण में स्थित भूमि का अंकन भी अपीलाधीन आदेश में किया गया है। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के धारण में क्रमशः ईमीलाल पुत्र ओमप्रकाश के धारण में 2.04 बीघा कमाण्ड भूमि का अंकन किया गया है तथा अपीलांट बाबुलाल पुत्र भीखाराम के धारण में 15 बीघा कमाण्ड भूमि दर्शित करते हुए चूंकि रेस्पोडेन्ट के धारण में कम भूमि होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

(5) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि निहित थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा तत्समय अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि निहित है तथा उसके द्वारा तथ्यों को छिपाया जाकर आराजी जैर का आवंटन करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आराजी जैर का आवंटन किया गया है। तत्समय अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत हो कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व से ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है।

(6) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा रिपोर्ट पटवार मण्डल बरसलपुर 'बी' व रिपोर्ट पटवार मण्डल राववाला 'ए' की रिपोर्ट प्रस्तुत की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। हमने उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में पटवार मण्डल बरसलपुर 'ब' में सर्वप्रथम यह अंकित है कि ईमीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाट साकिन राववाला के स्वयं के नाम से 25 बीघा भूमि मुहरबन्द निलामी में आवंटन रिकार्ड दर्ज है व पटवार मण्डल राववाला 'ए' की रिपोर्ट में यह अंकित है कि रेस्पोडेन्ट ईमीलाल पुत्र

ओमप्रकाश के खुद के नाम से व उसके पिता के नाम से राववाला में कोई रकबा दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि रेस्पोजेन्ट की माता व दादा के धारण में भूमि निहित है। उक्त भूमि में रेस्पोजेन्ट स्वयं के नाम से न होकर नोशनल शेयर के धारण की भूमि है। जिसे वर्तमान में रेस्पोजेन्ट ईमीलाल की भूमि नहीं माना जा सकता।

(7) चूंकि प्रकरण में पटवार मण्डल बरसपुर 'बी' की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोजेन्ट के धारण में पूर्व में ही 25 बीघा कमाण्ड भूमि अंकित की गई है जिसके खण्डन में अभिभाषक रेस्पोजेन्ट द्वारा कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत न करते हुए कथन किया कि रेस्पोजेन्ट्स द्वारा आवंटन आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाते हुए मौके पर काबिज है। यदि रेस्पोजेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है तो अपीलांत को रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सिलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

(8) प्रकरण में चूंकि रेस्पोजेन्ट ईमीलाल के धारण पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में ही 25 बीघा भूमि स्वयं के धारण में निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट के धारण में मात्र 2.04 बीघा कमाण्ड भूमि को मानते हुए रेस्पोजेन्ट को आराजी जैर चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/41 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है, जिसे पुष्टि योग्य नहीं माना जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-02-2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि व सभी पक्षों की भूमि की तस्दीक करते हुए पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर